Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

<u>अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार</u>

स्वत्व वाद सं.-48/21

सी.आई.एस सं.-48/21

रमन प्रसाद यादव एवम बनाम उमेश कुमार यादव एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
12/06//24	वादी के विधिक वारिसानो की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी के साथ नविन शक्तिपत्र प्रस्तुत किया गया है एवम प्रतिवादी गण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है | यह वाद वादी के विधिक वारिसान द्वारा आदेश 22 नियम 3,9 दिवानी प्रक्रिया संहिता एवम धारा 5 परिसिमा अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08/05//24 पर सुनवाई आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है | वादी की ओर से उक्त आवेदन को संचालित कर समर्पित किये की वादी सं.1 की मृत्यु दिनांक 26.10.23 को हो गई है जो अपने पिछे अपने दो पुत्र प्रीतम कुमार,मिथुन कुमार एवम एक पुत्री नीतिका भारती एवम अपनी विधवा आशा देवी को छोड़कर मरे हैं | वाद की जानकारी न होने से यह आवेदन नियत समय मे नही दिया सका है अत: न्यायहित मे उपशमन को अपास्त कर उनका नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने की कृपा करे | प्रतिवादीगण के द्वारा मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है | उभयपक्ष पक्ष को सुना | अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी सं.1 की मृत्यु दिनांक 26.10.23 को हो गई है | यह वाद अभी प्रारंभिक स्तर पर है एवं वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण हेतु वादी संख्या एक के विधिक वारिसान को अभिलेख पर लाया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है अत : वादी के विधिक वारिसान के इस आवेदन को न्यायहित मे स्वीकृत कर उपशमन को अपास्त का वादपत्र से वादी स.1 नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है | कार्यालय आदेशानुसार वादपत्र को संशोधित करे | वाद आगामी दिनांक 01/07//24 वास्ते धारा 89 सी.पी.सी.के अन्तर्गत निपटारे हेतु नियत| लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	

लगातार 17/04/23		

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित|

प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित |

यह वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01/04/22 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया | उक्त आवेदन को प्रचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया कि वादी सं.1 भानी देवी अपनी दो पुत्री को छोड़कर मर गयी | वादी के द्वारा इस व्यादेश के वाद का मुल्यांकन 100 रुपया कर न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया है जबकि वादी को एडवोलरम न्यायालय शुल्क का भुगतान करना चाहिए था | वादी के द्वारा वाद का मुल्यांकन नही किया गया है जिस कारण से वादी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नही है | वादपत्र की अनुसूची II में वर्णित वाद्भूमि वादी के भूमि का भाग नही है बल्कि प्रतिवादी के भूमि का भाग है जिसे प्रतिवादी ने अपने घर की सुविधा के लिए छोड़ा है | वादी के दावे में कोई बल नही है अत: वादी के दावेको ख़ारिज करने की कृपा करे |

वादी द्वारा प्रतिउत्तर देकर आपत्ति व्यक्त किया गया है की भानी देवी का नाम मेमोरंडम आफ आपील में काटा गया है| विधि का नियम है कि व्यादेश का मुल्यांकन जो दिया गया है वह सही है |अत: प्रतिवादी का उक्त आवेदन विधि के अंतर्गत पोषणीय न होने से ख़ारिज किये जाने योग्य है | वादी की ओर से B.P.Jhunjhunwala @ Bharat Kumar vs Uma Shankar Jhunjhunwala and others न्याय दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है |

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया | प्रतिवादी के द्वारा प्रथम आपत्ति किया गया है की भानी देवी की मृत्यु हो गयी है जो अपने पीछे अपनी पुत्री को छोड़कर गयी है परन्तु उनको पक्षकार नही बनाया गया है | परिशीलन से प्रतीत होता है कि वादी स.1 भानी देवी की मृत्यु हो जाने के कारण वादी के द्वारा आदेश 22 नियम 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया था जिस पर सुनवाई पश्चात न्यायालय के द्वारा स्वीकृत कर वादी सं.1 का नाम वादपत्र से काटने का आदेश दिया गया है | **आदेश 22 नियम 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता** में वर्णित प्रावधान के अनुसार '' जहाँ कई वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहाँ न्यायालय उत्तरजीवी वादी की प्रेरणा पर वाद चलाने की अनुमति प्रदान कर सकेगा |'' इस वाद में वादी सं.1 भानी देवी के पुत्र वादी सं.2 है एवं न्यायालय के द्वारा दिनांक को आदेश 22 नियम 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को स्वीकृत कर वाद को चलाने की अनुमति प्रदान

की गयी है ऐसी दशा में प्रतिवादी का उक्त आपत्ति विधि के अंतर्गत समाधानप्रद प्रतीत नही होता है |

प्रतिवादी की ओर से आपत्ति किया गया है कि वादी के द्वारा इस व्यादेश के वाद का मुल्यांकन 100 रुपया कर न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया है जबकि वादी को एडवोलरम न्यायालय शुल्क का भुगतान करना चाहिए था | वादी के द्वारा वाद का मुल्यांकन नही किया गया है जिस कारण से वादी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नही है | अभिलेख के परिशीलन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद स्थायी व्यादेश हेतु लाया गया है | इस सम्बन्ध में धारा 7 (IV) D न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 एवं धारा 8 वाद मुल्यांकन अधिनियम 1887 पर विचार किया जाना आवश्यक है |

धारा 7 उपधारा (IV) D न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 में वर्णित प्रावधान के आलोक में ''व्यादेश के वाद में वादी इप्सित अनुतोष के मुल्यांकन के रकम का कथन करेगा |'' एवं धारा 8 वाद मुल्यांकन अधिनियम 1887 में वर्णित प्रावधान के अनुसार '' Court-fee value and jurisdictional value to be the same in certain suits.—Where in suits other than those referred to in the Court-fees Act, 1870 (7 of 1870), section 7, paragraphs v, vi and ix, and paragraph x, clause (d), court-fees are payable ad valorem under the Court-fees Act, 1870 (7 of 1870), the value as determinable for the computation of court-fees and the value for purposes of jurisdiction shall be the same. state amendments . उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है की व्यादेश के वाद में वादी इप्सित अनुतोष के मुल्यांकन के रकम का कथन करेगा एवं न्यायालय शुल्क हेतु वाद का मुल्यांकन एवं क्षेत्राधिकार हेतु वाद का मुल्यांकन समान होगा | दिनांक 21/02/23 को प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु नियत |

हस्ताक्षर

असैनिक न्या.कनीय कोटि

मुंसिफ,खगड़िया, बिहार